संख्या- 2847 /33-2-13-45डब्लू/13

प्रेषक,

सीताराम यादव,

अनुसचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,

आगरा, फिरोजाबाद, इलाहाबाद, प्रतापगढ़,

कानपुर नगर, कानपुर देहात, फैजाबाद, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर,

महराजगंज, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, लखनऊ, रायबरेली, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर , हापुड़, पीलीभीत,

सम्भल, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मऊ, बलिया, सोनभद्र, संतकबीरनगर ।

पंचायतीराज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 13 दिसम्बर, 2013

विषय: रिट याचिका संख्या- 309/2009 लक्ष्मी नारायन मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 9.7.2013 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2257/33-2-13-45डब्लू/13, दिनांक 16.9.2013, संख्या-2368/33-2-13-45डब्लू/13, दिनंाक 24.9.2013 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या-2455/33-2-13-45डब्लू/13, दिनांक 16.9.2013 एवं संख्या- 2455(1)/ 33-2-13- 45डब्लू/13, दिनांक 08.10.2013 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा रिट याचिका संख्या- 309/2013 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में पारित मा0 उच्चतम न्ययालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.7.2013 के संदर्भ में कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, परंतु वांछित सूचना अभी तक अप्राप्त है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वांछित सूचना आज ही फैक्स/ई-मेल के माध्यम से शासन को अथवा उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0 प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दें । यदि आप द्वारा वांछित सूचना आज ही उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो इस सम्बन्ध में आपके विरूद्ध वांछित सूचना उपलब्ध न कराये जाने के कारण नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित की जायेगी।

संलग्नक: यथोपरि। भवदीय,

(सीताराम यादव)

अनुसचिव ।

संख्या-2847 (1)/33-2-13-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

http://shasnadesh.up.nic.in

1- विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-8, उ0 प्र0 ।

2- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0 प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे पत्र को प्रदेश के समस्त अपर मुख्य अधिकारियों को फैक्स/ई-मेल के माध्यम से आज ही सूचित करें तथा वांछित सूचना संकलित कर टिप्पणी सहित शासन को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
अनु सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in